1
अध्याय

संगठन और अवसंरचना

1-1 iHkkjh e=h

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का नेतृत्व 10 नवम्बर, 2014 से केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा के हाथ में है। श्री श्रीपाद यसो नाईक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री द्वारा उन्हें सहायता प्रदान की जाती है।

Jh txr izdk'k uMMk
केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

Jh Jhikn ;'kks ukbd]
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री

1-2 ifjp;

संविधान के संघीय स्वरूप को देखते हुए कार्यक्षेत्रों को केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच बांटा गया है। संविधान की सातवीं अनुसूची में कार्य मदों के तीन विषयों की विस्तृत सूचियों अर्थात संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का वर्णन है। यद्यपि जन स्वास्थ्य अस्पताल, सफाई आदि जैसे कुछ विषय राज्य सूची में आते हैं, फिर भी जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा खाद्य अपमिश्रण निवारण, औषध विनिर्माण में गुणवत्ता नियंत्रण आदि जैसी मदें, जिनका राष्ट्रीय स्तर पर अधिक विस्तार है, को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रमुख संचारी रोगों के निवारण एवं नियंत्रण तथा परम्परागत एवं देशी चिकित्सा पद्धतियों के संवर्धन के क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए मददगार एवं उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय तकनीकी सहायता प्रदान करके मौसमी रोगों के प्रकोपों तथा महामारियों के फैलाव की रोकथाम तथा नियंत्रण करने में भी राज्यों को सहायता देता है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा या तो केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत सीधे व्यय किया जाता है अथवा स्वायत्त/सांविधिक निकायों आदि तथा अन्य गैर–सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। केन्द्र सरकार प्रायोजित कार्यक्रमों के अतिरिक्त, मंत्रालय राज्य सरकारों के सहयोग से बहुपक्षीय/अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ समर्थित कई कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है।

7 अगस्त, 2014 को असाधारण राजपत्र अधिसूचना भाग–II खंड–3, उप–खंड (ii) के तहत एड्स नियंत्रण विभाग को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ आमेलित कर दिया गया था और यह अब राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) कहलाएगा। मंत्रिमंडल सचिवालय की दिनांक 8 दिसम्बर, 2014 की अधिसूचना सं. 1/21/35/2014–कैब के तहत कार्य आबंटन के संशोधन के अनुसार आयुष विभाग को आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय बना दिया गया है जिसमें आयुर्वेद, योग प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी पद्धति में शैक्षिक और अनुसंधान के विकास पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है। स्वास्थ्य एवं परिवार

कल्याण मंत्रालय में निम्नलिखित दो विभाग हैं जिनमें से प्रत्येक विभाग का प्रमुख भारत सरकार का एक सचिव होता है:–

I स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

II स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का संगठनात्मक ढांचा अध्याय 25 और 26 में दिया गया है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का एक संबद्ध कार्यालय है और इसके अधीनस्थ कार्यालय देशभर में फैले हुए हैं। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय सभी चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य संबंधी मामलों में तकनीकी सलाह प्रदान करता है और यह विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के कार्यान्वयन में शामिल है।

1-3 i'kklu

विभाग ने अपने सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार की वचनबद्धता के भाग के रूप में सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों को सक्षम और समयबद्ध रूप से कार्यान्वित करने हेतु नई पहलें की हैं और कदम उठाए हैं।

प्रशासन प्रभाग इस विभाग के कार्मिक प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के स्टाफ की सेवा संबंधी शिकायतें भी निपटाता है।

विभाग में आधार आधारित बायोमैट्रिक प्रणाली शुरू की गई है। ई–ऑफिस परियोजना को भी चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। सभी योजना और गैर–योजना भुगतानों को पीएफएमएस में एकीकृत किया जा चुका है।

1-4 dsUnzh; LokLF; lsok ¼lh,p,l½

विभिन्न भागीदार यूनिटों अर्थात स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, श्रम मंत्रालय, डाक विभाग, असम राइफल्स आदि को चिकित्सा मुहैया कराने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का वर्ष 1982 में पुनर्गठन किया गया। तभी से ईएसआईसी, एनडीएमसी, एमसीडी, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा आदि जैसी अनेक सहभागी इकाइयों ने अपने कैडर बना लिए हैं। जिपमेर, पुदुच्चेरी जो 14 जुलाई, 2008 से एक स्वायत्तशासी निकाय बन गया है, सीएचएस संवर्ग से बाहर हो गया है। सीएचएस संवर्ग से बाहर जाने वाले नए संस्थानों की सूची में नयी प्रविष्टि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की है। इसी समय सीजीएचएस जैसी इकाइयों का भी विस्तार किया गया है। साथ ही केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा में अब निम्न चार उप–संवर्ग आते हैं और प्रत्येक उप–संवर्ग में वर्तमान स्टाफ का ब्यौरा इस प्रकार है:–

i. सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उप–संवर्ग – 2,198

ii. शिक्षण विशेषज्ञ उप–संवर्ग – 1,134

iii. गैर–शिक्षण विशेषज्ञ उप–संवर्ग – 598

iv. जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ उप–संवर्ग – 104

इसके अतिरिक्त उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड में 19 पद हैं जो सभी चारों उप–संवर्गों के लिए साझा हैं।

1-4-1 lh,p,l e Hkrh संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षाएं 2014 के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग से 801 उम्मीदवारों के डोजियर प्राप्त हुए थे और उनकी रैंक, प्राथमिकता तथा पदों की उपलब्धता के आधार पर इन्हें केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा विभिन्न संवर्गों अर्थात रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, एमसीडी, एनडीएमसी को आबंटित कर दिया गया। उपर्युक्त अभ्यर्थियों में से 130 अभ्यर्थियों को सीएचएस आबंटित हुआ है, सीएचएस संवर्ग के अन्तर्गत 19 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रस्ताव जारी किए गए हैं और कुछ अभ्यर्थियों की नियुक्ति पूर्व औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। 94 सहायक प्रोफेसरों ने भर्ती होने पर सीएचएस में कार्यभार ग्रहण कर लिया है; 30 अधिकारियों ने विभिन्न विशेषज्ञताओं में गैर–शिक्षण उप–संवर्ग में कार्यभार ग्रहण किया है; भारत के राजपत्र में 17 जीडीएमओ अधिकारियों की नियुक्ति को अधिसूचित किया गया है तथा ग्रेड–II (कनिष्ठ वेतनमान) में 16 नए जन स्वास्थ्य विषेषज्ञ डॉक्टरों को नियुक्त किया गया है।

1-4-2 l oxl l eh{kk% 1963 में गठित केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों तथा अन्य प्रशासनिक कारणों के मद्देनजर, 1982 में पुनर्गठन किया गया और पुनः टिक्कू समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए पुनर्गठन किया गया। इसके पश्चात 2004–05 में श्री एस. हरिहरण, सेवानिवृत्त, उपसचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, एक सदस्यीय समिति की प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर संवर्ग की आंशिक समीक्षा की गई ताकि अधिकारियों विशेषकर वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) और उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड (एचएजी) स्तर के अधिकारियों में स्टेगनेशन कम की जा सके।

मंत्रालय ने 20 मार्च, 2015 को अपर सचिव (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में संवर्ग समीक्षा समिति का गठन किया है।

1-4-3 inkUufr;k% वर्ष के दौरान केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के विभिन्न उप–संवर्गों में निम्नलिखित पदोन्नतियां की गईं हैं:

mi&l oxl	Ø-l -	Iknuke	Lk-
	1.	अपर डीजीएचएस के पद पर प्रोन्नति	04
thMh,evk	1.	चिकित्सा अधिकारी (ग्रेड पे 5400/–रू. पीबी–3) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (ग्रेड पे 6600/–रू. पीबी–3) में	79
	2.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (ग्रेड पे 6600/–रू. पीबी–3) मुख्य चिकित्सा अधिकारी (ग्रेड पे 7600/–रू. पीबी–3) में	27
	3.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी (ग्रेड पे 7600/–रू. पीबी–3) मुख्य चिकित्सा अधिकारी (ग्रेड पे 8700/–रू. पीबी–4) में	07
	4.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एनएफएसजी) (ग्रेड पे 8700/– पीबी–4) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	05
v/;kiu	1.	सहायक प्रोफेसर (पीबी–3 में ग्रेड पे 6600/–रू.) से एसोशिएट प्रोफेसर (पीबी–3 में ग्रेड पे 7600/–रू.) में पदोन्नति	21
	2.	एसोशिएट प्रोफेसर (ग्रेड पे 7600/–रू. पीबी–3) से प्रोफेसर (ग्रेड पे 8700/–रू. पीबी–4) में	21
ykd LokLF;	1.	विशेषज्ञ ग्रेड–II (वरिष्ठ स्केल) (ग्रेड पे 7600/–रू. पीबी–3) से विशेषज्ञ ग्रेड–I (ग्रेड पे 8700/–रू. पीबी–4) में	05

1-4-4 ifrfu;fDr% वर्ष के दौरान संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से विभिन्न राज्य सरकारों/केन्द्र सरकार के अन्य विभागों से 6 अधिकारी केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में नियमित आधार पर प्रतिनियुक्ति पर लिए गए।राज्य सरकारों से 2 अधिकारी तदर्थ प्रतिनियुक्ति पर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में लिए गए।

1-4-5 vkjVhvkb% इस प्रभाग में प्राप्त आरटीआई के मामलों की संख्या 280 है।

1-4-6 U;k;ky; ds ekeys% कैट बेंच/उच्च न्यायालयों/उच्चतम न्यायालय में 18 मामले वर्ष के दौरान निपटाए गए। 88 मामले अभी भी कैट बेंच/उच्च न्यायालयों/उच्चतम न्यायालय में अभी लंबित हैं।

1-4-7 dUnh; LokLF; l ok d vf/kdkfj;k d ,lhvkj@,ih,vkj mUu;u l lcf/kr vH;konu% कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं. 21011/1/2005–स्था. (क) (पार्ट–II) दिनांक 14.05.2009 और का.ज्ञा. सं. 21011/1/2010–स्था.क दिनांक 13.04.2010 द्वारा जारी दिशा–निदेशों के अनुसार नवम्बर, 2015, तक एपीएआर/एसीआर उन्नयन से संबंधित 35 अभ्यावेदनों पर विचार कर उनका निपटान किया गया।

1-4-8 nr fpfdRld% हाल तक विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) दंत चिकित्सा पदो के लिए पात्र नहीं माने जाते थे। वर्ष के दौरान नीतिगत निर्णय लिया गया जिसमें 40 से 70 प्रतिशत लोकोमोर्टर विकलांगता के अभ्यर्थियों को दंत चिकित्सा पदों का पात्र माना गया है। तीन दंत सर्जनों को कनिष्ठ स्टाफ सर्जन वेतन बैंड–3 के रूप में पदोन्नति के आदेश जारी किए गए।

1-5 y[kk lxBu

1-5-1 Lkk/kkj.k y[kk&<kpk

संविधान के अनुच्छेद 150 में यथा प्रदत्त, संघ सरकार के लेखों को ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जो भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति विहित करेगा। वित मंत्रालय का महालेखा नियंत्रक (सीजीए) केन्द्र सरकार के वार्षिक लेखों को संसद में रखने हेतु तैयार करने तथा संकलन करने हेतु उत्तरदायी होगा। सीजीए अपने कार्यों का निर्वहन प्रत्येक सिविल मंत्रालय कां लेखा विंग के जरिए करता है। भारतीय नागरिक लेखा संगठन के सदस्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में लेखों के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी हैं। उनकी मंत्रालय के प्रशासनिक और लेखा संबंधी मामलों के लिए वित्तीय सलाहकार के जरिए मंत्रालय/विभाग के मुख्य लेखाकरण अधिकारी को रिपोर्ट करने तथा लेखा महानियंत्रक के रूप में दोहरा उत्तरदायित्व होता है जिसकी ओर से वे कार्य आबंटन नियम के अन्तर्गत अपने नामोद्दिष्ट कार्यों के निर्वहन के लिए इस मंत्रालय में कार्य करते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में लेखाधिकारियों का प्रशासन सीजीए कार्यालय के नियंत्रणाधीन है।

प्रत्येक मंत्रालय/विभाग का सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में मुख्य लेखा प्राधिकारी होता है। यह उत्तरदायित्व उसके द्वारा पूरा किया जाना होता है और वह मुख्य लेखा नियंत्रक के माध्यम से और उनकी सहायता से तथा वित्तीय सलाहकार के परामर्श से अपने दायित्व को पूरा करते हैं। सचिव विनियोजन लेखा को प्रमाणित करने के लिए उत्तरदायी होता है और लेखे की किसी भी प्रकार की टिप्पणी के लिए लोक लेखा समिति तथा संसदीय स्थाई समिति के प्रति जवाबदेह होता है।

1-5-2 e=ky; e y[kk&<kpk

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में चार विभाग अर्थात स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, आयुष विभाग (आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध व होम्योपैथी), स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग एवं एड्स नियंत्रण विभाग (नाको) हैं। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय एवं आयुष मंत्रालय के सभी विभागों के लिए एक साझा लेखा विंग हैं।

लेखा विंग मुख्य लेखा नियंत्रक के पर्यवेक्षण में कार्य कर रहा है, इसकी सहायता लेखा नियंत्रक (सीए), सहायक लेखा नियंत्रक (एसीए) तथा और 11 भुगतान एवं लेखा अधिकारी (सात प्रधान लेखाधिकारी दिल्ली में और चेन्नई, मुम्बई, कोलकाता और पुदुच्चेरी में एक–एक) करते हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक को मंत्रालय के बजट प्रभाग का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न स्तरों पर स्थित लेखाधिकारियों के 14 संवर्ग पद हैं। सभी विभागों के लिए आंतरिक अंकेक्षण विंग है, जो सभी चैक निकासी और गैर–चैक निकासी, आहरण एवं संवितरण कार्यालयों, प्रधान लेखा कार्यालयों और सभी भुगतान एवं लेखा कार्यालयों का निरीक्षण करते हैं। दिल्ली, चडीगढ़, मुम्बई, कोलकाता और बेंगलुरू में स्थित 5 क्षेत्रीय निरीक्षण दल हैं।

1-5-3 Ek=ky; e y[kk dk;l

मंत्रालय के लेखा कार्यों में विभिन्न प्रकार के दैनिक भुगतान तथा पावतियां, रोजमर्रा के चालान बनाना, वाउचर, दैनिक व्यय नियंत्रण रजिस्टर आदि का रखरखाव करना आदि शामिल हैं। मासिक व्यय लेखा मासिक पावती तथा मासिक सकल नकदी प्रवाह विवरण को तैयार किया जाता है ताकि उसे सीजीए कार्यालय के माध्यम से वित मंत्रालय को प्रस्तुत किया जा सके। भुगतान एवं लेखा संबंधी सभी कार्यों को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है।

प्रधान लेखाधिकारी वार्षिक वित लेखा, वार्षिक विनियोजन लेखा, केन्द्रीय व्यवसाय का विवरण, वार्षिक पावती बजट, वास्तविक पावती तथा वसूली विवरण जो मंत्रालय के

प्रत्येक अनुदान के लिए होते हैं, तैयार करता है। मदवार विनियोजन लेखा, सी एंड एजी रिपोर्ट के साथ सीजीए द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, प्रधान लेखाधिकारी अन्य मंत्रालयों को निधियों के प्लेसमेंट के आदेश तथा राज्य सरकारों को अनुदान तथा ऋण जारी करने के लिए रिजर्व बैंक को परामर्श जारी करता है और डीडीओ के साथ निधि रखने के लिए मंत्रालय के प्रत्यायित बैंक को एलओसी प्रदान करने की सलाह देता है। सामान्य लेखा कार्यों के अतिरिक्त, विभिन्न बजटीय, वित्तीय तथा लेखा मामलों में लेखा स्कंध तकनीकी परामर्श भी देता है।

यह लेखा स्कंध मंत्रालय और लेखा महानियंत्रक के कार्यालय तथा महालेखा परीक्षक के कार्यालय के बीच सभी लेखा मामलों में समन्वयक एजेंसी का काम भी करता है। ठीक इसी प्रकार यह इस मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग के बीच सभी बजट मामलों में समन्वय का कार्य करता है।

1-5-4 vkrfjd y[kk ijh{kk foax

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का आंतरिक लेखा परीक्षा विंग स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय एवं आयुष मंत्रालय के सभी विभागों की आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्य कर रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 600 से अधिक लेखा परीक्षा यूनिटें आयुष विभाग की 24 यूनिटें और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग की 25 यूनिटें हैं। विभाग को अपने उद्देश्य और लक्ष्यों की प्राप्ति में आंतरिक लेखा परीक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

मुख्य लेखा नियंत्रक प्रत्येक विभाग और इसके अधीनस्थ संगठन के संबंध में आंतरिक लेखा परीक्षा टिप्पणियां तथा वित्तीय विषयों से जुड़े मामले सचिव के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आंतरिक लेखा परीक्षा की वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट तथा वित्त मंत्रालय की संवीक्षा के अध्यधीन होती हैं। आंतरिक लेखा परीक्षा की भूमिका बढ़ रही है और यह सरकारी नियमों और विनियमों के संदर्भ में संव्यवहार की जांच करने तक सीमित अनुपालन लेखा परीक्षा से किसी भी संख्या के जोखिम कारकों तथा निष्पादन की जांच करने की जटिल लेखा परीक्षा तकनीकों की ओर रूख कर रही है। वर्ष 2014–15 में 953 लेखा परीक्षा पैरा उठाए गए हैं जिनमें 149.82 करोड़ रूपए के पर्यवेक्षण शामिल हैं। वर्ष 2014–15 के दौरान कुल 209 पैराओं का निपटान किया गया है। इसके अलावा वर्ष 2014–15 में आंतरिक लेखा परीक्षा ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यान्वित/कार्यरत निम्नलिखित स्कीमों और संस्थाओं की निष्पादन/विशेष लेखा परीक्षा की।

fo'k"k y[kk ijh{kk

1. एमएसडी गोल मार्किट, नई दिल्ली
2. मैसर्स डेंटल लाइफ वेलनेस सेंटर, सादिक नगर।

fu"iknu@tkf[ke vk/kkfjr y[kk ijh{kk

1. राज्य स्वास्थ्य सोसायटी कर्नाटक, दमण और द्वीव, जम्मू एवं कश्मीर और दिल्ली।
2. पीएमएसएसवाई के अंतर्गत भोपाल एवं भूवनेश्वर के लिए नया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानं।
3. राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़।

1-6 lpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e] 2005 dk dk;kZUo;u

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत 55 केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) तथा 30 अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय संबंधी सीपीआईओ की ओर से आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना के लिए अनुरोध प्राप्त करने हेतु डीओपीटी के दिशानिर्देश के आलोक में श्री राजीव कुमार, निदेशक (समन्वय) को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने इस विभाग की वेबसाइट पर आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत अपने कार्यालय से संबंधित सभी अनिवार्य सूचना डाल दी हैं।

डीओपीटी द्वारा तैयार आरटीआई ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत

आवेदन करने तथा प्रथम अपील की सुविधा दिनांक 3 जून, 2013 से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में शुरू की गई है और आम व्यक्ति बड़ी संख्या में इस सुविधा के जरिए अपने आरटीआई आवेदन भेज रहे हैं। इसके अलावा डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत आवेदनों तथा अपीलों को भी प्राप्ति और प्रेषण (आरएंड आई) अनुभाग तथा आरटीआई सेल, कमरा नं. 216 'डी'विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली में द्वारा स्वीकार किए जाते हैं।

वर्ष 2015–16 के दौरान अर्थात् 1 अप्रैल, 2015 से 11.12.2015 तक 5710 आरटीआई आवेदन तथा 823 आरटीआई अपीलें आरटीआई वेब पोर्टल, व्यक्तिगत रूप से तथा डाक के जरिए प्राप्त हुई हैं।

1-7 l r d|rk

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का सतर्कता अनुभाग भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी के समग्र नियंत्रण में कार्य करता है जो अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है। उनकी सहायता एक अंशकालिक निदेशक (सतर्कता), एक अवर सचिव और सतर्कता अनुभाग के सहायक स्टाफ द्वारा की जाती है। इस अवधि के दौरान और श्री मनोज झालानी, (आईएस) मुख्य सतर्कता अधिकारी का कार्य देखते रहे हैं।

मंत्रालय का सतर्कता प्रभाग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधिकारियों के सतर्कता तथा अनुशासनिक मामलों को निपटाने पर कार्रवाई करता है। सतर्कता स्कंध केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा, डीजीएचएस/पीएनटी औषधालयों तथा विभिन्न चिकित्सा सामग्री भंडार संगठनों, पोतपत्तन स्वास्थ्य संगठनों, श्रम कल्याण संगठनों आदि जैसी अन्य संस्थाओं में कार्यरत डॉक्टरों और गैर–चिकित्सीय/तकनीकी कार्मिकों के संबंध में सर्तकता जांच, सतर्कता दृष्टिकोण वाली अनुशासनिक कार्यवाहियों की भी मॉनीटरिंग करता है।

वर्ष 2015–16 में (नवंबर, 2015 तक) सतर्कता प्रभाग द्वारा निम्न कार्रवाई/मामले उठाए/निपटाए गए हैं:–

Ø-l-	en	l|[;k
1.	के.स.से. (सीसीए) नियमावली के नियम 14 के अंतर्गत आरोप पत्र जारी किया गया	3
2.	लगाए गए अभियोजन की मंजूरी के मामले	4
3.	अनुषासनिक मामलों को अंतिम रूप देना	8
4.	आई ओ/पी ओ की नियुक्ति करने के मामले	3
5.	वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के विरूद्ध मामला दर्ज करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को दी गई अनुमति के मामले	--
6.	निलंबन/विस्तार के मामले	6
7.	अवधि के अंत में चल रहे अनुशासनात्मक मामलों की संख्या	22
8.	उपर्युक्त कार्रवाई हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त शिकायतों की संख्या और जो जांच के अधीन हैं/निपटाए गए हैं	30
9.	उपयुक्त कार्रवाई हेतु केंद्रीय जांच ब्यूरो से प्राप्त विविध शिकायतें	60
10.	अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतें	52
11.	परामर्श हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग को भेजे गए मामले	7
12.	परामर्श हेतु संघ लोक सेवा आयोग को भेजे गए मामले	3
13.	परामर्श हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेजे गए मामले	1

14.	विधि एवं न्याय मंत्रालय को परामर्श हेतु भेजे गए मामले	4
15.	प्राप्त किए गए और निपटाए गए आरटीआई आवेदन	46/46
16.	प्राप्त की गई और निपटाई गई आरटीआई अपीलें	4
17.	अवधि के दौरान प्रक्रियाधीन न्यायिक मामलों की संख्या	8
18.	अवधि के दौरान दी गई सतर्कता निकासी	3249
19.	अति महत्वपूर्ण लोगों/प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त एवं निपटाए गए मामले	5

1-8 ykd f'kdk;r lyk

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय से जुड़े कार्यालयों के साथ–साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय व सीजीएचएस के अन्य अधीनस्थ कार्यालयों (दिल्ली व अन्य क्षेत्रों दोनों में), केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों व मंत्रालय के अधीन आने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में लोक शिकायत निवारण तंत्र कार्य कर रहा है। जो भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के माध्यम से समय–समय पर जारी विभिन्न दिशा–निदेशों को क्रियान्वित करते हैं।

डॉ. (श्रीमती) शीला प्रसाद, आर्थिक सलाहकार,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, को विभाग से संबद्ध लोक शिकायत के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है। श्री जिले सिंह विकल, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में उप सचिव हैं, लोक शिकायत अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार मंत्रालय के अधीन अन्य संगठनों में भी उच्चस्तरीय अधिकारी लोक शिकायत अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं।

वर्ष 2010–11 के लिए मंत्रालयों/विभागों में परिणामी कार्य ढांचा फ्रेमवर्क दस्तावेजों के अंतर्गत जन शिकायतों को दूर करने और इसकी मॉनीटरिंग के लिए सेवोत्तम शिकायत प्रणाली के सृजन हेतु और केन्द्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं मॉनीटरिंग प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के कार्यान्वयन के लिए सरकार के अनुदेशों के अनुसरण में सीपीजीआरएएमएस को विभाग, संबद्ध कार्यालय अर्थात् स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में कार्यान्वित किया गया है और इसे स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भी लागू किया गया है। इसे स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अन्य अधीनस्थ कार्यालयों में भी लागू किया जा रहा है। यह एक वेब आधारित पोर्टल है और नागरिक इस प्रणाली के माध्यम से संबंधित विभागों में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् www.mohfw.nic.in पर भी सीपीजीआरएएमएस का लिंक दिया गया है।

वर्ष 2014 और 2015 के दौरान प्राप्त/निपटाई गई और लंबित शिकायत याचिकाएं इस प्रकार हैं:–

o"k	o"k dk ikjfEHkd 'k"k	o"k d nkjku ikIr f'kdk;r ;kfpdk,a	o"k d nkjku fuiVkbZ xbZ f'kdk;r ;kfpdk,a	yfcr
2014	30	175	185	20
2015 (29.12. 2015तक)	20	187	195	12

वर्ष 2015 के दौरान सीपीजीआरएएमएस के जरिए प्राप्त शिकायत के संबंध में स्थिति निम्न प्रकार है

ikIr f'kdk;rksa dh la[;k	fuiVku	yfcr
22197 (29.12.2015 तक)	20442	2662

1-9 lpuk ,oa lfo/kk dsUnz

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में शिकायत निपटान तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए गेट नं. 5 निर्माण भवन के पास एक सूचना एवं सुविधा केन्द्र कार्यरत है। यह सुविधा केन्द्र जनता को निम्नलिखित जानकारी देता है:–

1. स्वास्थ्य मंत्री के विवेकाधीन अनुदान (एच एम डी पी) तथा राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आर ए एन) से वित्तीय लाभ उठाने के लिए जानकारी और दिशा–निदेश।

2. विदेशों में उच्चतर चिकित्सा अध्ययन करने के लिए भारतीय डॉक्टरों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के दिशा–निर्देश और अनुदेश।
3. सीजीएचएस से संबंधित सूचना एवं दिशा–निर्देश और मंत्रालय के कार्य के संबंध में प्रश्न।
4. जन शिकायत पर याचिका/सुझाव प्राप्त करना।
5. सूचना सुविधा केन्द्र में टेलीफोन एवं व्यक्तिगत रूप से मंत्रालय के कार्य के बारे में पूछे गए सामान्य प्रश्नों को सभी संबंधित व्यक्तियों की संतुष्टि के अनुसार निपटाया गया।

1-10 xkeh.k LokLF; lajpuk

देश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम को प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार 153655 उपकेंद्रों, 25308 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और 5396 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के एक नेटवर्क के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। एससी/पीएचसी/सीएचसी हेतु जनसंख्या मानदण्ड निम्नानुसार हैं:

dsUnz	tula[;k ekun.M	
	eSnkuh {ks=	igkM+h@ tutkrh;@ nqxZe {ks=
उप केंद्र (एससी)	5000	3000
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी)	30,000	20,000
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी)	1,20,000	80,000

मंत्रालय ने हाल ही में निर्णय लिया है कि पहाड़ी राज्यों के कुछ जिलों की बस्तियों में 30 मिनट की पैदल दूरी के भीतर एक उप–स्वास्थ्य केंद्र प्रदान किया जाए।

1-10-1 mi dsUnz

उप केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली और समुदाय के बीच सबसे पहला परिधीय और प्रथम संपर्क बिंदु है। इनमें कम से कम एक सहायक नर्स धात्री (एएनएम)/महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता और एक पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता होना आवश्यक हैं, एक लेडी हेल्थ विजीटर (एलएचवी) को छः उपकेंद्रों के पर्यवेक्षण का कार्य दिया गया है। उपकेंद्रों को मातृ और बाल स्वास्थ्य; रोग नियंत्रण और स्वास्थ्य परामर्श का कार्य सौंपा गया है।

एएनएम और एलएचवी का वेतन भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है जबकि पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता का वेतन राज्य सरकारों द्वारा दिया जाता है। एनएचएम के तहत उप केंद्रों को प्रतिवर्ष 20,000/–रुपए की अबद्ध निधि देकर सुदृढ़ किया जा रहा है। किराए के परिसर में संचालित उपकेंद्रों के लिए भवन सहित मौजूदा उपकेंद्रों का उन्नयन तथा जनसंख्या व परिचर्या के समय से संबंधित मानदण्डों के आधार पर नए की स्थापना भी की जा रही है।

1-10-2 izkFkfed LokLF; dsUnz ¼ih,plh½

पीएचसी ग्राम समुदाय और चिकित्सा अधिकारी के बीच प्रथम संपर्क बिन्दु है। इसमें एक चिकित्सा अधिकारी और अन्य सहायक कर्मचारी तैनात किए जाते हैं। यह 6 उप–केंद्रों के लिए एक रेफरल इकाई के तौर पर कार्य करता है और इसमें रोगियों के लिए 4–6 बिस्तर होते हैं। यह उपचारात्मक, निवारक, प्रोत्साहक और परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करते हैं।

एनआरएचएम के तहत पीएचसी को सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि अनिवार्य जन स्वास्थ्य सेवाओं का पैकेज प्रदान किया जा सके और आउटरीच सेवाओं को सहयोग प्रदान किया जा सके जिसमें अनिवार्य औषधियों और उपकरण की नियमित आपूर्ति, पीएचसी स्तर पर आयुष चिकित्सक की तैनाती करके एक चिकित्सक वाले पीएचसी का उन्नयन 2 चिकित्सकों वाले पीएचसी के रूप में करना, रोगियों की संख्या और प्रसवों की संख्या के आधार पर एक चरणवार ढंग से 3 स्टाफ नर्सों का प्रावधान शामिल है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को एनएचएम के तहत अपनी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) में अपनी प्रस्तावों और निधियों की अपेक्षा को शामिल करना होगा। भौतिक संरचना में सुधार और रख–रखाव करने तथा पर्यवेक्षण के लिए रोगी कल्याण समिति (आरकेएस) में स्थानीय स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए प्रति पीएचसी अबद्ध निधि प्रदान की गई है।

1-10-3 lkeqnkf;d LokLF; dsUnz ¼lh,plh½

सीएचसी की स्थापना और अनुरक्षण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। न्यूनतम मानदण्डों के अनुसार, एक सीएचसी में चार चिकित्सा विशेषज्ञ अर्थात् सर्जन चिकित्सक, स्त्रीरोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ और 21 पैरामेडिकल और अन्य कर्मचारी होने चाहिए। इसमें सामान्यतः 30 अन्तरंग रोगी बिस्तर, एक ऑपरेशन थिएटर, एक्स–रे और लेबर रूम तथा प्रयोगशाला सुविधाएं होती हैं और यह 4 पीएचसी के लिए एक रेफरल केंद्र के रूप में कार्य करता है। यह आपातकालीन प्रसूति परिचर्या और अन्य विशेषज्ञ परामर्श की सुविधाएं प्रदान करता है।

आईपीएचएस मानकों के अनुसार सीएचसी को सुदृढ़ करने के लिए और उन्हें प्रथम रेफरल इकाई (एफआरयू) बनाने के लिए एनएचएम के तहत उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में राज्यों द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार प्रत्येक वर्ष निधि प्रदान की जा रही है। भौतिक संरचना में सुधार और रख–रखाव करने तथा पर्यवेक्षण के लिए रोगी कल्याण समिति (आरकेएस) में स्थानीय स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए प्रति सीएचसी अबद्ध निधि प्रदान की गई है।

1-10-4 mi&iz[kaM@mi&ftyk vkSj ftyk vLirkyksa dk lqn`<+hdj.k

उप–प्रखंड/उप–जिला और जिला अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण एनएचएम के तहत एक अनुमोदित गतिविधि भी है। राज्य अपनी अपेक्षाओं का प्रस्ताव अपने पीआईपी में करते हैं, जिसे राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति (एनपीसीसी) द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है और अनुशंसा के अनुसार अनुमोदन जारी किया जाता है। अनुमोदित गतिविधियां पूरी करने के लिए अपेक्षित निधियों के अतिरिक्त, भौतिक संरचना में सुधार और रख–रखाव करने तथा पर्यवेक्षण के लिए रोगी कल्याण समिति (आरकेएस) में स्थानीय स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए प्रति उप–प्रखंड/उप–जिला और जिला अस्पतालों अबद्ध निधि प्रदान की गई है।

1-10-5 Hkkjrh; tu LokLF; ekud ¼vkbZih,p,l½

भारतीय जन स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस), ऐसे मानकों की विशेषताओं की व्याख्या करते हैं जिन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के संस्थानों द्वारा उठाया जाना चाहिए ताकि नागरिक को इस बात का विष्वास हो कि उसे अस्पताल में स्वीकृत मानकों से मापने जा सकने वाली जन स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होंगी। उप–केंद्रों, सीएचसी, उप–प्रखंड/उप–जिला अस्पतालों और जिला अस्पतालों के लिए भारतीय जन स्वास्थ्य मानक न सिर्फ कार्मिक और भौतिक संरचना हेतु बल्कि सेवा की प्रदानगी और प्रबंधन हेतु मानक निर्धारित करते हैं।

आईपीएचएस के भाग के रूप में प्रत्येक अस्पताल, को एक रोगी कल्याण समिति (आरकेएस)/अस्पताल प्रबंधन समिति (एचएमसी) की स्थापना करनी होगी। यह सार्वजनिक अस्पतालों के प्रबंधन में सामुदायिक नियंत्रण को शामिल करता है। इसका उद्देश्य जवाबदेही, लोगों की भागीदारी और पूर्ण पारदर्शिता के साथ निरंतर गुणवत्तायुक्त परिचर्या प्रदान करना है।

1-11 dsanzh; fpfdRlk lsok lkslk;Vh ¼lh,e,l,l½

केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसायटी (सीएमएसएस), को पारदर्शी और लागत प्रभावी तरीके से स्वास्थ्य क्षेत्र की वस्तुओं के प्रापण के लिए, 22.03.2012 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की केंद्रीय प्रापण एजेंसी को तौर पर पंजीकृत किया गया था, ताकि 50 स्थानों पर भण्डारगृहों सहित आईटी सक्षम आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को स्वास्थ्य क्षेत्र की वस्तुओं की अबाधित आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके ।

सीएमएसएस उपभोग आधारित प्रापण प्रणाली का अनुसरण करेगा। यह पहले वर्ष पिछले उपभोग के आधार पर और बाद में उपभोग आंकड़ों के आधार पर मात्रा की निविदा मंगाएगा। निविदाएं निकटतम वार्षिक अपेक्षाओं का उल्लेख करेंगी और इकाई कीमत पर निपटान किया जाएगा तथा आवश्यकता के आधार पर आवधिक रूप से आर्डर दिया जाएगा।

सीएमएसएस में एक पदेन–अध्यक्ष है, जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रापण का प्रभारी अपर सचिव होता है। इसमें एक पूर्णकालिक सीजी और सीईओ, एक संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी होता है जो कि सोसायटी के सारे प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होता है। उसे महाप्रबंधकों से सहायता प्राप्त होती है जिनमें से प्रत्येक प्रापण, संभार–तंत्र, वित्त, गुणवत्ता आश्वासन, प्रशासन और

चिकित्सा उपकरणों के लिए जिम्मेदार होता है।

वर्तमान वर्ष के दौरान, निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियां/उपलब्धियां प्राप्त की गईं :–

- dsanh; Hk.Mkjxg fuxe ¼lhMCY;wlh½ ds lkFk lgefr Kkiu% सीडब्ल्यूसी के साथ विचार–विमर्ष की एक श्रृंखला के बाद 30.6.2014 को 21 स्थानों पर भण्डारगृह किराए पर लेने के लिए सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था।
- vkbZVh lkW¶Vos;j% सीएमएसएस लक्षणों और पूरी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ एक वेब आधारित ऑनलाइन वस्तु–सूची नियंत्रण प्रणाली के माध्यम से अपने प्रचालन करेगा जिसके लिए 25.11.2014 को सीएमएसएस और सीडीएसी के बीच समझौते ज्ञापन स्तर पर हस्ताक्षर किए गए।
- भण्डारगृह क्षेत्र के लिए औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 की अनुसूची–एम (जीएमपी अपेक्षाएं) के अनुसार निर्धारित अपेक्षाएं पूरी की जा रही है; इसे सुनिश्चित करने के लिए डीसीजीआई के एक प्रतिनिधि के साथ सीएमएसएस द्वारा भण्डारगृहों का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार मरम्मत की गई है।
- iz;kx'kkykvksa dks iSuyc) djuk% प्राप्त की गई औषधियों के परीक्षण की व्यवस्था की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सीएमएसएस के माध्यम से राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों जाने वाला प्रत्येक बैच गुणवत्तापूर्ण हैं। इसके लिए योग्यता मानदण्ड को पूरा करने वाली प्रयोगशालाओं को पैनलबद्ध किया गया है।
- vk"kf/k ikIrh ds fy, fufonk dh izfØ;k pykuk% 2015–16 में कंडोम, एसीटी कॉम्बीपैक तथा एलएलआईएन के प्रापण के लिए नई निविदा प्रकाषित की गई है।

1-12 vf/kdkj ikIr iki.k LdU/k ¼bZihMCY;w½

ईपीडब्ल्यू प्रभाग को राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी), संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी), और प्रतिरक्षण कार्यक्रम जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के तहत, घरेलू बजटीय सहायता के अंतर्गत परियोजनाओं के अलावा बाह्य रूप से सहायता प्राप्त घटकों (विश्व बैंक/एटीएम परियोजनाओं) के अंतर्गत औषधियों और वस्तुओं की प्राप्ति से संबंधित कार्य सौंपा गया है। यह प्रभाग एचएलएल के जरिए कोल्ड चैन उपस्कर की प्राप्ति, केएफडब्ल्यू परियोजना के अंतर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की प्रापण एजेंसी संबंधी कार्य में भी शामिल रहता है।

ईपीडब्ल्यू अन्य एजेंसियों को ई–प्राप्ती पासवर्ड तक पहुंच प्रदान करने के लिए तथा अन्य प्रभागों को प्रापण संबंधी मुद्दों पर मार्गदर्शन करने के लिए एक नोडल एजेंसी है। यह फार्मास्यूटिकल क्रय नीति और मैसर्स एचएलएल लाइफकेयर लि. की कैप्टिव स्थिति से संबंधित मामलों पर भी कार्यवाही करता है।

वर्ष 2014–15 के दौरान ईपीडब्ल्यू अनुभाग की उपलब्धियांः–

- दिनांक 12.01.2010 को गुडगांव में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और मैसर्स राइट्स लि. के बीच परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए संविदा करार किया गया था और जीएफआर के अनुपालन से घरेलू वित्तपोषित प्रापण शामिल करने के लिए इसकी सेवाओं का विस्तार किया गया था और इस संविदा का विस्तार 31.03.2016 तक कर दिया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) के अंतर्गत निम्नलिखित मूल्य के प्रापण को अंतिम रूप दिया गया था:–

dk;Øe	ikIrh dk eY;
आरएनटीसीपी	151.40 करोड़ रु.
एनवीबीडीसीपी	9.87 करोड़ रु.
dqy	161-27 djksM+ #-

- वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान अब तक आरएनटीसीपी और एनवीबीडीसीपी के संबंध में 2,36,37,56,742/– रु. मूल्य की प्राप्ति को अंतिम रूप दिया गया।